डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 383/2022 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

बलवन्त पुत्र श्री अमीलाल जाति जाट निवासी 31 आर.डब्ल्यु.डी. गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

–वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादी

उपस्थितः– श्री विनोद कुमार स्वामी वकील–वादी
पेरोकार राज–प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 09.4.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री विनोद कुमार स्वामी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिकी करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक नम्बर 31 आर.डब्ल्यु. डी. के खाता संख्या 23/21 के पत्थर नम्बर 216/443(19) के किला नम्बर 21/2, 22 व पत्थर नम्बर 216/444(28) के किला नम्बर 1/2, 2, 9, 10/2, 11/1, 20/1, 21/2 की 1.9710 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा कमाण्ड कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम बलवन्तकुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी गन्धेली के स्थान पर बलवन्त पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी 31 आरडब्ल्यूडी गन्धेली दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.04.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:43:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner